UAPA के तहत ULFA पर प्रतिबंध

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) पर प्रतिबंध को पाँच और वर्षों के लिये बढ़ा दिया है।

- ULFA असम में सक्रिय एक सशस्त्र उग्रवादी संगठन है जिसका उद्देश्य असम को भारत से अलग करना है।
    - ULFA का गठन **वर्ष 1979 में सशस्त्र संघर्ष** के माध्यम से **"असम की संप्रभुता की बहाली"** के लिये किया गया था।
    - ULFA पर पहली बार **वर्ष 1990 में प्रतिबंध** लगाया गया था और प्रतिबंध को समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहा है, प्रतिबंध की समय सीमा को **अंतिम बार वर्ष 2019** में बढ़ाया गया था।
- UAPA, 967 की **धारा 35** के अनुसार, यदि कोई संगठन या व्यक्ति **आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा** देता है, तो सरकार उन्हें अवैध या आतंकवादी घोषित कर सकती है।

और पढ़ें: विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ban-on-ulfa-under-uapa